न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राज.)

प्रकरण संख्या – शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
31/10/17	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अग्रिम पक्षकार [illegible] 022 R 4(4) CPC पर [illegible] गयी। अग्रिम प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 7 [illegible] 2011 को बाबपत्र सूचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही के आदेश [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 अपस्थित [illegible] प्रस्तुत करने मे असफल [illegible] ऐसी स्थिति मे उसके [illegible] प्रतिस्थापित क०मु० के [illegible] के लिये आदेश प्रदान [illegible] अग्रिम प्रतिवादी/विपक्षी [illegible] पक्षकार के खण्डन मे [illegible] प्रस्तुत नही किया। और [illegible] वादी/प्रार्थी ने न्यायालय [illegible] (6) SC पेज 168 बुधुता [illegible] अन्य के प्रस्तुत कि एक [illegible] विपक्षी ने न्यायालय [illegible] (SC) पेज 424 एवं 200 [illegible] पेज 415 मे प्रस्तुत कि [illegible] कि बाद सुनी पत्रावली [illegible] किया गया। वादी/प्र [illegible] 022 R 4(4) CPC का [illegible] जाता है। पत्रावली [illegible] को पेश हो।	[illegible]दी/अधिवक्तागण उपस्थित/ [illegible]धिकारी राजकार्य से R0 [illegible] [illegible]श पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश [illegible] दिनांक ..... को आज्ञा से पत्रावली पेश हुई। अग्रिम [illegible] अनुपस्थित। वादी एवं वादी [illegible] गयी। इसकी और [illegible] नही आया। [illegible] वाद पैरवी के [illegible] पैरवी अग्रिम [illegible] खारिज किया जाता है [illegible] कुमार होकर [illegible] कि [illegible]	